गृह मंत्रालय ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 2(1)(h) - स्पष्टीकरण 2 एवं 3 के प्रावधानों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया है कि **FCRA Utilization** बैंक खाते में विदेशी अभिदाय से सृजित सावधि जमा **(Fixed Deposits)** या वित्तीय साधनों मे निवेश **(Investment in Financial instruments)**, ऐसे निवेशों/ सावधी जमाओं की परिपक्वता पर या ऐसे रिटर्न को किसी भी बैंक में संचालित संस्था के **FCRA Utilization** बैंक खाते में जमा किया जाएगा, बशर्ते संस्था द्वारा किया गया ऐसा निवेश **FC(R)R, 2011** के नियम 4 में परिभाषित स्पेक्यूलेटिव गतिविधियों (असुनिश्चित निवेश या बहुत अधिक लाभ की आशा से किया गया निवेश) की श्रेणी में नहीं आता हो।

क्या आप जानते हैं ?

विदेशी अभिदाय (Foreign Contribution) से सृजित सावधि जमा/ निवेश (FDs/ Investment) से प्राप्त आय को FCRA Utilization बैंक खाते में जमा किया जा सकता है।

Released on 27th January, 2025

fmsf